बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–01/वि0प0(ध्यानाकर्षण)–03–14/2024, परि0 9057 पटना, दिनांक– 18/07/24

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप सचिव,
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– श्री नीरज कुमार, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार विधान परिषद, सचिवालय, पटना से प्राप्त ज्ञापांक–1204(1) वि0प0, दिनांक–15.07.2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि श्री नीरज कुमार, माननीय स0वि0प0 द्वारा दिनांक–25.07.2024 को पूछा जानेवाला ध्यानाकर्षण पर कार्रवाई गृह विभाग, बिहार, पटना से अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित ध्यानाकर्षण का वक्तव्य अपने विभाग के स्तर से बिहार विधान परिषद, सचिवालय, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
18.7.24
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

(9)

परिवहन विभाग बिहार * TRANSPORT DEPT. GOVT. OF BIHAR
5880
16 JUL 2024

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सड़क मार्ग से बेगूसराय जिला के सिमरिया घाट राजेंद्रपुल पार कर उत्तर बिहार के यात्री सुदूर स्थानों की यात्रा हेतु हथिदह के पास पुल से आगे ऊपर में ही यात्रियों को बसों से उतार दिया जा रहा है और यह स्थान स्थाई रूप से अवैध बस पड़ाव बन गया है। छोटे-छोटे यात्री वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। जिससे ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो जाती है और सड़क पार करने की स्थिति में यदा-कदा दुर्घटना भी घटती रहती है। अवैध बस पड़ाव वाहन मालिकों एवं असामाजिक तत्वों के कमाई का धंधा बन गया है। उक्त स्थान से दक्षिण-पश्चिम आगे बस पड़ाव के लिए नीचे के रास्ते में जमीन उपलब्ध है। राजेंद्र पुल से दक्षिण सड़क मार्ग में बने अवैध बस पड़ाव आम जनों के लिए सिरदर्द बन गया है।

अत: हथिदह राजेंद्र पुल से दक्षिण सड़क मार्ग में बने अवैध बस पड़ाव को सख्ती से हटाने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-
नीरज कुमार
स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-144/2024- 1204 वि०प० दिनांक:- 15/7/2024

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-25.07.2024 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

15.07.2024
(मनोज कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्